अध्याय - V

स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य पर लेखापरीक्षा के मुख्य टिप्पणियाँ सन्निहित है।

अध्याय - V
स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

खण्ड - **खः कंडिकाएँ**

ग्रामीण विकास विभाग

5.1 सरकारी धन की हानि

कार्य-विशेष हेतु तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियंता को अनियमित रूप से अग्रिम का भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप 27.37 लाख रूपये की वसूली नहीं होना।

उप विकास आयुक्त सह उपाध्यक्ष (डी डी सी), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए), हजारीबाग द्वारा वर्ष 1998-99 में 27.99 लाख रूपये की प्राक्कलित लागत पर सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ईचाक बरकट्ठा कड़ी सतह वाली सड़क निर्माण का कार्य जिला परिषद हजारीबाग के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाना था। इस योजना की तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद, हजारीबाग द्वारा 22 फरवरी 1999 को दी गयी थी।

जिला ग्रामीण विकास अभिकारण, हजारीबाग के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2001) एवं एकत्रित सूचनाओं (मार्च 2002) के विश्लेषण से पता चला कि उप विकास आयुक्त हजारीबाग ने योजना के कार्यान्वयन हेतु एक सहायक अभियंता को 22.50 लाख रूपये अग्रिम का भुगतान (मार्च 1999 एवं दिसम्बर 1999) किया जिसके पास 9.07 लाख रूपये का अग्रिम इसी कार्य (ईचाक-बरकट्ठा सड़क) के लिए जो उसे वर्ष 1994 में भुगतान किया गया था, समायोजन/वसूली हेतु लंबित था। भुगतान किये गये कुल अग्रिम 31.57 लाख रूपये के विरूद्ध उक्त सहायक अभियंता ने मात्र 4.20 लाख रूपये का लेखा समर्पित किया (अक्टूबर 1999), शेष राशि 27.37 लाख रूपये के लिए कोई लेखा मार्च 2002 तक समर्पित नहीं किया गया।

27.37 लाख रूपये की वसूली की कोई संभवना नहीं थी क्योंकि उक्त सहायक अभियंता की नियुक्ति तदर्थ आधार पर हुई थी जो बाद में (जुलाई 2000) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कोडरमा द्वारा अवैध पाये जाने के कारण रद्द कर दी गयी थी। यह पाया गया कि सरकारी धन की हानि पहले दिये गये अग्रिम की वसूली/समायोजन किये बिना ही क्रमबद्ध रूप से अग्रिमों के अनियमित भुगतान एवं तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी को वृहत पैमाने पर अग्रिम के भुगतान के कारण हुई।

निदेशक, डी आर डी ए, हजारीबाग ने कहा (मार्च 2002) कि मामले की छानबीन हो रही थी। लेकिन डी आर डी ए द्वारा सहायक अभियंता से 27.37 लाख रूपये की वसूली हेतु कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2002) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

5.2 6.43 करोड़ रूपये का असमायोजित अग्रिम

पूर्व में भुगतान किये गये अग्रिमों का समायोजन किये बिना ही अग्रिमों के भुगतान के फलस्वरूप वर्ष 1997-98 में असमायोजित अग्रिम की राशि 5.15 करोड़ रूपये वर्ष 2003 मार्च के अन्त में बढ़कर 6.43 करोड़ रूपये हो गयी।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय संहिता, 1976 की धारा 34 (जे.) के प्रावधानों के अनुसार राँची विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की आय एवं व्यय के नियमन तथा उसके अन्तर्गत अग्रिमों के भुगतान एवं वसूली के लिए अधिनियम बनाना था। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान एवं अग्रिम की वसूली हेतु किसी भी प्रकार के अधिनियम/नियम नहीं बनाये गये थे। विश्वविद्यालय के अग्रिम भुगतान पंजी की जाँच से पता चला कि राँची विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अग्रिमों के भुगतान की स्वीकृति दी। उसमें पाया गया कि अग्रिमों का भुगतान, पूर्व में भुगतान किये गये अग्रिमों का समायोजन किये बिना ही कर दिया गया था जिसके कारण असमायोजित अग्रिमों की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही थी। वर्ष 1997-98 में असमायोजित अग्रिमों की राशि 5.15 करोड़ रूपये थी जो मार्च 2002 के अन्त तक बढ़कर 6.43 करोड़ रूपये हो गयी।

अग्रिमों के समायोजन हेतु लेखा प्राप्त करने में विश्वविद्यालय के निबंधक की विफलता के कारण 6.43 करोड़ रूपये की राशि के असमायोजित अग्रिम इकट्ठा हो गये।

अग्रिमों के विलम्बित समायोजन एवं असमायोजन के कारण गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ घटित होने की संभावना बनी हुई थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2002); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।